न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/139/2014

उनवान

1. गणपत लाल पिता अम्बा लाल दरोगा निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :—
   1/1 मोडी बाई पत्नि गणपत लाल दरोगा निवासी माण्डलगढ
   1/2 गोपाल पिता गणपत लाल दरोगा, निवासी माण्डलगढ
   1/3 कृष्णा देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी नारायण लाल दरोगा निवासी कुलाटिया तहसील बेगूँ जिला चित्तोडगढ
   1/4 पारस देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नि गोपाल जी दरोगा निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ
   1/5 संतोष देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी रामप्रसाद निवासी कानावतों का लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
   1/6 सुशीला देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी नारायण सिंह दरोगा निवासी आम्बा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला वन अधिकारी, वृत भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. लादु सिंह पिता छगन धूपिया निवासी माण्डलगढ हाल मुकाम करमडास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. चंचल देवी पिता गोपाल सिंह बापना पत्नी हिम्मत सिंह आंचलिया अहिंसा सर्कल, नई आबादी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

25/6/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण
संख्या 21/12 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2014
अधिवक्तागण :–

1. श्री भोलेश्वर शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री पवन कुमार पंवार, श्री गिरिश कौशिक अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 5

निर्णय

दिनांक 25.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व0 मदन सिंह पिता बिशन सिंह राजपूत निवासी नया नगर के खातेदारी अधिकार की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 105/1 रकबा 515 बीघा 7 बिस्वा ग्राम नया नगर पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलिया की शरहद में स्थित है। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के वर्तमान बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 20 मी. रकबा 267 बीघा अंकित किये हैं। उक्त भूमि में से उप जिलाधीश , माण्डलगढ के निर्णय पत्रावली संख्या 43/81 दिनांक 22.10.81 से 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते से निकाल कर अन्य व्यक्तियों के नाम मृतक मदन सिह के वारिसान द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर दर्ज कर दी गई है। शेष रकबा 227 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते दर्ज है। स्व0 मदन सिह के बाद उनके एक मात्र पुत्र मान सिंह वारिस बने तथा मान सिंह पुत्र मदन सिंह की मृत्यु के बाद स्व0 मानसिंह पिता मदन सिंह राजपूत निवासी नयानगर की समस्त चल व अचल सम्पति की एक मात्र उत्तराधिकारी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गंगाबाई बेवा मान सिंह राजपूत थी। स्व0 मान सिंह के देहावसान के बाद मान सिंह की कृषि भूमि जो ग्राम नया नगर में स्थित थी श्रीमती गंगाबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी की एकमात्र उत्तराधिकारी श्रीमती गंगाबाई होकर उनके उपयोग उपभोग और कब्जे में निर्विवाद साधिकार चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व अभिलेखों में चली आ रही प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। विवादित आराजी श्री मदन सिंह व श्री मान सिह और श्रीमती गंगाबाई ने प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं की है न ही सक्षम अधिकारी या न्यायालय का किसी प्रकार का आदेश प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया गया है फिर भी भू प्रबन्ध विभाग और अक्षम कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दी गई।

2. वादी श्रीमती गंगाबाई का जायन्दा पुत्र होकर श्रीमती गंगाबाई बेवा मान सिह राजपूत का वैधानिक उत्तराधिकारी है, श्रीमती गंगाबाई ने वादी के पक्ष में दिनांक 29.8.84 को अंतिम इच्छा पत्र लिखकर वादी को श्रीमती गंगाबाई की समस्त चल–अचल सम्पति का उत्तरधिकारी बना दिया तथा इच्छा पत्र का पंजीयन वादी के पक्ष में करा दिया । वादी स्व0 मान सिह से स्व0 श्रीमती गंगाबाई की चल अचल सम्पति पर साधिकार निर्विवाद काबिज होकर भुगतभोग करता चला आ रहा है। श्रीमती गंगाबाई का देहावसान हो चुका है जिससे श्रीमती गंगाबाई की समस्त कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। वादी वादग्रस्त भूमि पर श्रीमती गंगाबाई के जीवन काल और उसकी मृत्यु के बाद काबिज होकर भुगतभोग करता चला आ रहा है प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा व भुगतभोग नहीं रहा है। वादी ने दिनांक 25.10.99 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि को श्रीमती गंगाबाई या श्री मान सिह अथवा स्व0 श्री मदन सिह को बिना सूचित किये सुनने का अवसर प्रदान किये भू प्रबन्ध अधिकारियों ने मिलकर रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 नाम अंकित कर दी । वादी ने प्रतिवादी को विवादित भूमि वादी के नाम अंकित कराने को कहा तो इन्कार हो गये। जिससे वादी ने नियमानुसार नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी दिनांक 6.11.99 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया । प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि में पास मे चल रही खनन बाउण्ड्री का मलवा डलवा कर भूमि का स्वरूप बदल रहे हैं तथा इस प्रकार प्रार्थी/वादी को प्रतिवादी संख्या 1 भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । वादी के स्वामित्व खातेदारी व कब्जेयाबी भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का अधिकार नही है। राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियॉ प्रारंभिक रूप से अवैध है प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के खाते की राजस्व भूमि में से किसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी ने राजस्व अभिलेखों में अवैध प्रविष्टियॉ करा ली है प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में किसी प्रकार का मलबा अथवा रूप बदलने का अधिकार नहीं है । राजस्व अभिलेख में प्रविष्टिया प्रारंभिक रूप से अवैध है फर्जी एवं बिना किसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को वादी की राजस्व भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं वादी की कृषि भूमि को प्रतिवादी खनन मलबा डलवा कर अकृषि में परिवर्तित करवाना चाहते हैं। जिनका उन्हें कतई अधिकार नहीं है । वादी ने प्रतिवादीगण को अवैध कृत्य नहीं करने बाबत आग्रह किया है परन्तु नहीं मान रहे हैं। स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाना विधि एवं न्याय संसगत है। स्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में वादी की कृषि भूमि अकृषि कार्यो में परिवर्तित हो जायेगी । वादीकाश्त एवं भुगतभोग से सदा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सर्वदा के लिए वंचित हो जायेगा। अनेक विवादों के बढने की पूरी संभावना है। वादी को अपरिमित हानि होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा । अतः वादी को ग्राम नया नगर तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 227 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे एवं राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाने की आज्ञा प्रदान करावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि से वादी को प्रतिवादीगण बेदखल न स्वयं करें न किसी नौकर अधिकारी कर्मचारी एजेण्ट परिजन व्यक्ति से वादी को बेदखल करने हेतु प्रेरित करें। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरण न करें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें प्रतिवादीगण किसी प्रकार का ऐसा कार्य नही करे जो कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तत करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय जारी कर वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी / वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे कुल 5 तनकियात कायम की । जिसमे से तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादी / अपीलाण्ट पर था। जिसे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी/ अपीलाण्ट ने पूर्ण रूप से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ठोस दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत जाकर साक्ष्य की अनदेखी कर उक्त तनकी को मात्र इस कारण वादी के विरूद्ध तय कर दिया कि वर्तमान में भूमि वन विभाग के नाम है। जबकि उक्त तनकी वन विभाग के नाम होने या न होने पर ही आधारित नहीं थी। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी तनकी के विरूद्ध जाकर उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध तय किया है। जबकि अपीलाण्ट/वादी ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए जमाबंदी ग्राम नयानगर (प्रदर्श 1) मे वर्णित आराजियात खातेदार खसरा नम्बर 20 मिन का जंगलात विभाग के नाम दर्ज होना, तथा खसरा नम्बर 20 मिन के साबिक खसरा नम्बर 105/1 रकबा 515 बीघा 07 बिस्वा से बना होना साबित है जो मदन सिह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वादी के पक्ष में मृतक गंगाबाई द्वारा निष्पादित करवाया गया वसीयतनामा प्रदर्श 2 है । जिसमें वादी को मृतक गंगाबाई बेवा मान सिंह का एक मात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है । वादी ने प्रदर्श 3 के रूप में प्रतिवादीगण वन विभाग को प्रेषित कराये गये दफा 80 सी पी सी के सूचना पत्र दिनांक 6.11.1999 को प्रदर्श कराया । जिसमें वाद पत्र में अंकित कथन का अंकन होते हुए विवादित भूमि वादी के नाम दर्ज करने की मांग की गई। उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति स्वीकृतियॉ प्रदर्श 4,5,6, के रूप में वादी द्वारा प्रदर्श कराई गई। वादी ने सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर का एक पत्र कमांक 1156 दिनांक 5.11.1981 प्रदश 7 के रूप में प्रदर्शित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कराया । उक्त दस्तावेज में विवादित भूमि के पुराने नम्बर 105/1 होकर उसका नया नम्बर 20 बनना स्वीकार किया एवं उक्त भूमि सेटलमेण्ट से पूर्व प्रतिवादी वन विभाग के खाते में नहीं थी एवं मदन सिंह पिता बिशन सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी स्पष्ट किया है एवं उक्त प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का मानकर राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का माना है। प्रदर्श 8 के रूप में गंगाबाई के खाते की नकल प्रदर्श हुई है। जो मानसिंह की मृत्यु के उपरान्त गंगाबाई के नाम भूमि दर्ज होना जाहिर करती है। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 9 प्रतिवादी वन विभाग के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श 10 के रूप में नक्शा ट्रेश प्रदर्शित हुआ है । वादी द्वारा प्रदर्श 11 के रूप में सेटलमेण्ट विभाग के मिलान खसरे की नकल को प्रदर्श कराया गया है जो उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 105/1 होना व सेटलमेण्ट से पूर्व मदन सिह के नाम भूमि दर्ज होने का प्रमाण साबित करती है। उक्त प्रदर्श 11 में मिलान खसरे में बेशी रकबा अंकित है। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त रकबा वन विभाग के नाम अधिक अंकित हुआ है एवं उक्त दस्तावेज पर किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश अंकित नहीं है। प्रदर्श 12 के रूप में नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 11.1.1982 प्रदर्शित हुआ है। जो माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, माण्डलगढ के आदेश दिनांक 22.10.1981 प्रकरण संख्या 43/81 से खोला गया है। उक्त दस्तावेज से भी इस बात को बल मिलता है कि उक्त भूमि पूर्व में मदन सिह के नाम दर्ज रिकार्ड रही एवं मदन सिंह के वारिसान द्वारा किये गये विक्रयों को भी माननीय सहायक कलक्टर माण्डलगढ द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वैध मानते हुए वन विभाग के खातो में से पृथक किया जाकर भूमि खातेदारान के नाम दर्ज की गई। जिसकी कोई अपील प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने की स्वीकारोक्ति राजस्व विभाग रखता है, तथा वन विभाग को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी ने जो दस्तावेज प्रदर्श कराये हैं उसमें प्रदर्श 3 सूचना पत्र भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रतिवादी को अपीलाण्ट/वादी के कथनों मे संदेह था तो क्योंकर उसका कोई प्रति उत्तर आज तक वादी/अपीलाण्ट को नही दिया गया । जबकि उक्त सूचना पत्र प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका था जिसकी ताईद प्रदर्श 4 ,5 6, प्राप्ति स्वीकृतियों से होती है। इनके अतिरिक्त प्रदर्श 7 एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वयं प्रतिवादीगण/रेस्पोडण्ट द्वारा प्रेषित किया गया दस्तोवज है जिसमे विवादित भूमि स्व0 मदन सिह की खातेदारी की होना स्वीकार कर वन विभाग के नाम दर्ज होने को सेटलमेण्ट की भूल स्वीकार किया है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त दस्तावेज के संबंध में प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा वादी/अपीलाण्ट से किसी प्रकार की जिरह नही की गई न ही इस सबंध में कोई खण्डनीय साक्ष्य, प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट ने पेश की । इतना ही नहीं प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा वादी/अपीलाण्ट से की गई जिरह में भूमि पर वर्तमान में वादी/अपीलाण्ट का कब्जा होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा घास काटने का कथन भी स्पष्ट हुआ है। वादी/अपीलाण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.3.2012 से पूर्ण वाद को साबित किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी डब्ल्यू 1 अजीत प्रकाश ने दिनांक 21.11.2012 को हुई जिरह में विवादित भूमि के पुराने नम्बर 105 होकर उक्त आराजी पहले मानसिंह पिता मदन सिह के नाम दर्ज होने का स्वीकार किया है। साथ ही संवत 2022 में उक्त भूमि का 267 बीघा वन विभाग के नाम दर्ज होना स्वीकार करताहै। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट उक्त गवाह यह भी स्वीकार करता है कि उक्त भूमि किसी भी आदेश से वन विभाग के खाते में दर्ज नहीं हुई है साथ ही उक्त गवाह तथ्यों की जानकारी नहीं होने का कथन करता है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि उक्त विवादित भूमि जिसमें आराजी नम्बर 20 मीन है के पुराने नम्बर 105/1 होकर भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त भूमि के खातेदार मदन सिह के नाम दर्ज थी एवं मदन सिंह की सम्पति विरासत से मान सिंह व मानसिंह से गंगाबाई के नाम पर आई । वादी अपीलाण्ट गंगाबाई का एकमात्र उत्तराधिकारी होकर वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में गंगाबाई द्वारा वसीयत भी पंजीकृत कराई गई जो प्रकरण में प्रदर्श हुई है। हस्तगत पेज 151 से स्पष्ट होता है कि सेटलमेण्ट के अधिकारी की गलती को सुधारने का अधिकार न्यायालय को है । इस सबंध में वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2003 (2) पेज 1027, आर आर टी 2003 (2) पेज 957 , आर आर टी 2001 (1) पेज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

520 है । उक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलाण्ट उक्त तनकी नम्बर 1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इतने ठोस दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर तनकी के विपरीत जाकर उक्त तनकी का वादी/अपीलाण्ट से साबित नहीं मानने की भारी भूल की है। जबकि उक्त तनकी पूर्ण रूप से वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होती है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे माननीय योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित किया है जबकि उक्त तनकी भी वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। माननीय योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी के निर्णय में वादी/अपीलाण्ट का कब्जा साबित माना है। फिर भी वाद वादी/अपीलाण्ट का खारिज करने मे भारी भूल की है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 3 जो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को साबित करनी थी जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 साबित नहीं कर सके । इस संबंध में रेस्पोडेण्ट की ओर से एक भी दस्तावेज माननीय अधिनस्थ न्यायालय में न तो पेश हुआ न ही प्रदर्श हुआ । इतना ही नहीं रेस्पोडेण्ट्स की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भी उक्त तनकी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में साबित नहीं थी। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र वर्तमान में भूमि वन विभाग के नाम होने के आधार पर उक्त तनकी को रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में मानने में भारी भूल की है। गत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बन्दोबस्त सेटलमेण्ट से पूर्व उक्त भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट वन विभाग के नाम दर्ज हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है । इतना ही नहीं प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकरण में एक भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा साक्ष्य में जो शपथ पत्र पेश किया गया, उस पर वादी/अपीलाण्ट द्वारा की गई जिरह में उल्टा प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट ने उक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व मान सिंह मदन सिंह वगैरा के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। इतना ही नहीं साक्षी डी डब्ल्यू 1 ने भूमि पर कब्जे बाबत जानकारी नहीं होने का कथन कर कहा है कि वादी/अपीलाण्ट्स अगर घास काटता हो तो मुझे जानकारी नहीं । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट का एक अन्य गवाह डी डब्ल्यू 2 भी दौराने जिरह एवं मुख्य परीक्षण में यह साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं कि विवादित भूमि गत सेटलमेण्ट से वन विभाग के नाम होकर उनके कब्जे में हों क्योंकि प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में कब्जा होने का कोई ठोस आधार नही है। इसके विपरीत साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि पर प्लांटेशन का कथन जरूर किया है। लेकिन प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट के दोनों गवाह जिरह के दौरान प्लांटेशन से इंकार कर विवादित भूमि पर कभी जाना ही नहीं बताते हैं। इतना ही नहीं भूमि पर वादी/अपीलाण्ट्स द्वारा घास काटना भी स्वीकार करते हैं। साथ ही प्रकरण में प्रदर्श 7 से वादी/अपीलाण्ट ने खण्डनीय साक्ष्य में दौराने जिरह साबित कराया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बन्दोबस्त से पूर्व वन विभाग के खाते में नहीं थी। उक्त तथ्य को योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार भी किया है लेकिन मात्र भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध तय माना है जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकी नम्बर 1,2, व 3 का जो विवेचन अपने उक्त आदेश दिनांक 12.6.2014 में किया है उक्त विवेचन के विपरीत जाकर मात्र भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण वादी/अपीलाण्ट का वाद पत्र खारिज किया है। जो अधिनस्थ न्यायालय का मनमाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध किया गया आदेश होकर अपास्त योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रदर्श कराये गये दस्तोवजात में से प्रदर्श 7 एक ऐसा दस्तोवज है जिसे स्वयं वन विभाग ने उक्त भूमि को वादी/अपीलाण्ट की होना स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्ती का मामला बताते हुए माननीय अधिनस्थ न्यायालय की अधिकारिता का होना बताया है। उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की अनदेखी करते हुए योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 12.6.2014 को निरस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

फरमाया जाकर वाद पत्र वादी / अपीलाण्ट स्वीकार कर डिक्री कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस इन्द्राज को भारत सरकार के आदेश के बिना नहीं हटाया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि राजस्व नक्शे में भी वन विभाग के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि भू प्रबन्ध के दौरान वन विभाग के नाम पर दर्ज की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2018 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपीलार्थी / वादी गणपत लाल की मृत्यु दिनांक 27.4.2018 को होना एवं उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर बतौर अपीलार्थीगण लिये जाने का निवेदन किया गया । जिसे उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 26.7.2018 को स्वीकार कर अपीलार्थी गणपत लाल के विधिक वारिसान को अपीलार्थीगण के रूप में रेकार्ड पर लिया गया ।

14. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि स्व0 मदन सिंह पिता बिशन सिंह राजपूत निवासी नया नगर के खातेदारी अधिकार की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 105 / 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 515 बीघा 7 बिस्वा ग्राम नया नगर पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित है। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी में से ही वर्तमान बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 20 मी. रकबा 267 बीघा अंकित किये हैं। उक्त भूमि में से उप जिलाधीश , माण्डलगढ के निर्णय पत्रावली संख्या 43/81 दिनांक 22.10.81 से 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते से निकाल कर अन्य व्यक्तियों के नाम मृतक मदन सिह के वारिसान द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर दर्ज कर दी गई है। शेष रकबा 227 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते दर्ज है। स्व0 मदन सिह के बाद उनके एक मात्र पुत्र मान सिंह वारिस बने तथा मान सिंह पुत्र मदन सिंह की मृत्यु के बाद स्व0 मानसिंह पिता मदन सिंह राजपूत निवासी नयानगर की समस्त चल व अचल सम्पति की एक मात्र उत्तराधिकारी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गंगाबाई बेवा मान सिंह राजपूत थी । स्व0 मान सिंह के देहावसान के बाद मान सिंह की कृषि भूमि जो ग्राम नया नगर में स्थित थी श्रीमती गंगाबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई। वादग्रस्त आराजी की एकमात्र उत्तराधिकारी श्रीमती गंगाबाई होकर उनके उपयोग उपभोग और कब्जे में निर्विवाद साधिकार चली आ रही है । भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व अभिलेखों में चली आ रही प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । विवादित आराजी श्री मदन सिंह व श्री मान सिह और श्रीमती गंगाबाई ने प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं की है न ही सक्षम अधिकारी या न्यायालय का किसी प्रकार का आदेश प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया गया है फिर भी भू प्रबन्ध विभाग के अक्षम कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दी गई । वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

श्रीमती गंगाबाई का जायन्दा पुत्र होकर श्रीमती गंगाबाई बेवा मान सिह राजपूत का वैधानिक उत्तराधिकारी है, श्रीमती गंगाबाई ने वादी के पक्ष में दिनांक 29.8.84 को अंतिम इच्छा पत्र लिखकर वादी को श्रीमती गंगाबाई की समस्त चल–अचल सम्पति का उत्तरधिकारी बना दिया तथा इच्छा पत्र का पंजीयन वादी के पक्ष में करा दिया । वादी स्व0 मान सिह से स्व0 श्रीमती गंगाबाई की चल अचल सम्पति पर साधिकार निर्विवाद काबिज होकर भुगतभोग करता चला आ रहा है। श्रीमती गंगाबाई का देहावसान हो चुका है जिससे श्रीमती गंगाबाई की समस्त कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर श्रीमती गंगाबाई के जीवन काल और उसकी मृत्यु के बाद काबिज होकर भुगतभोग करता चला आ रहा है प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा व भुगतभोग नहीं रहा है। वादी की मृत्यु से अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 स्व0 मानसिंह की खातेदारी भूमि के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा रेकार्ड पर आने के उपरान्त तनकियात कायम की । जिसमें से तनकी नम्बर 1 " आया मदन सिंह के खातों की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के भू प्रबन्ध ने वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया है वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ?" इस तनकी को साबित करने का भार अपीलार्थी / वादी पर था। जिनके द्वारा नकल जमाबंदी नयानगर की आराजी नम्बर 20 मिन प्रदर्श 1 जिसमें वर्णित आराजियात खातेदार मदन सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें अपीलार्थी / वादी को मृतक गंगा बाई द्वारा निष्पादित करवाया गया वसीयतनामा प्रदर्श 2 है। जिसमें अपीलार्थी / वादी को मृतक गंगाबाई बेवा मान सिंह का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अपीलार्थी / वादीगणपत लाल ने प्रदर्श 3 के रूप में प्रतिवादीगण वन विभाग को प्रेषित किये गये धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना पत्र दिनांक 6.11.1999 को प्रदर्श कराया गया है जिसमें वाद पत्र में अंकित कथन का अंकन होते हुए वादग्रस्त भूमि को अपीलार्थी / वादी के नाम दर्ज कराने की मांग की गई। उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति स्वीकृतियॉ अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रदर्शित कराई गई। वादी ने सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर का एक पत्र पत्रांक 1156 दिनांक 5.11.1981 प्रदर्श 7 के रूप में प्रदर्शित कराया गया उस पत्र में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान उदयपुर) ने अंकित किया कि नये नम्बर 20 बनना स्वीकार है। आराजी नम्बर 105 / 1 जमाबंदी संवत 75 से 2021 तक मदन सिंह पिता विशन सिंह राजपूत के खाते में दर्ज थी। जिसका नया नम्बर 20 बना है। जो जंगलात के खाते हैं एवं उक्त प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती की परिभाषा में आता है वन विभाग ने माना है । प्रदर्श 8 के रूप में गंगाबाई के खाते की नकल प्रदर्श हुई । जो मानसिंह की मृत्यु के उपरान्त गंगाबाई के नाम भूमि दर्ज होना जाहिर करती है। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 9 प्रतिवादी वन विभाग के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श 10 के रूप में नक्शा ट्रेश प्रदर्शित हुआ है। वादी द्वारा प्रदर्श 11 के रूप में सेटलमेण्ट विभाग के मिलान खसरे की नकल को प्रदर्श कराया गया है। जो उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 105 / 1 होना व सेटलमेण्ट से पूर्व मदन सिह के नाम भूमि दर्ज होने का प्रमाण साबित करती है। उक्त प्रदर्श 11 में मिलान खसरे में बेशी रकबा अंकित है एवं उक्त दस्तावेज पर किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश अंकित नहीं है । वादी ने जो दस्तावेज प्रदर्श कराये हैं उसमें प्रदर्श 3 सूचना पत्र भी है क्योंकि अगर प्रतिवादी को वादी के कथनों में संदेह था तो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

क्यों कर उसका प्रति उत्तर आज तक वादी को नहीं दिया गया जबकि उक्त सूचना पत्र प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका था जिसकी ताईद प्रदर्श 4, 5, 6, प्राप्ति स्वीकृतियों से होती है। इनके अतिरिक्त प्रदर्श 7 एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा प्रेषित किया गया दस्तावेज है। जिसमें वादग्रस्त भूमि स्व0 मदन सिह की खातेदारी की होना स्वीकार करते हुए वन विभाग के नाम दर्ज होने को सेटलमेण्ट की भूल माना है। उक्त दस्तावेज के संबंध में प्रतिवादी द्वारा वादी से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई न ही इस संबंध में साक्ष्य प्रतिवादी ने पेश की है। इतना ही नहीं प्रतिवादी द्वारा वादी से की गई जिरह में भूमि पर वादी द्वारा घास काटने का कथन किया है।

16. इस कम में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य डी डब्ल्यू 1 अजीत प्रकाश ने दिनांक 21.11.2012 को हुई जिरह में वादग्रस्त भूमि के पुराने नम्बर 105 होकर उक्त आराजी पहले मान सिंह पिता मदन सिह के नाम दर्ज होने को स्वीकार किया है। उक्त गवाह तथ्यों की जानकारी नहीं होने का कथन करता है। उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जिसमें आराजी नम्बर 20 मिन है के पुराने नम्बर 105/1 होकर भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त भूमि खातेदार मदन सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं मदन सिह की सम्पति विरासत से मान सि व मानसिह से गंगाबाई के नाम पर आई । वादी गंगाबाई का एक मात्र उत्तराधिकारी होकर वादी के पक्ष में गंगाबाई द्वारा वसीयत भी पंजीकृत कराई गई जो प्रकरण में प्रदर्श हुई है प्रस्तुत प्रकरण में श्री हरिसिंह राजपूत ने स्वयं को मानसिह राजपूत का गोदपुत्र बताते हुए प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद सुनवाई दिनांक 5.3.2014 को खारिज किया गया । विचाराधीन वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उद्धरण आर आ टी 2008 (1) पेज 151 से स्पष्ट होता है कि सेटलमेण्ट अधिकारी की गलती को सुधारने का अधिकार न्यायालय को है इस संबंध में वादी द्वारा अन्य न्यायिक उद्धरण भी प्रस्तुत हुए हैं जो आर आर टी 2003 (2) पेज 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 1027, आर आर टी 2003 (2) 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 520 है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार तनकी नम्बर 1 का विवेचन किया है जिससे प्रतीत होता है कि तनकी नम्बर 1 अपीलार्थी/वादी के पक्ष में निर्णित होनी चाहिये थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर एक को निर्णित करते हुए यह अंकित किया है कि " चूंकि भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है । वन विभाग की भूमि को किसी भी सूरत में वन विभाग से कम नहीं की जा सकती है। अतः तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर एक को निर्णित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, गवाहान के बयान का पूर्ण विवेचन नहीं कर तनकी नम्बर एक के संबंध में जो निष्कर्षण किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध कर्मचारियों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राज को दोहराना होता है परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में स्व0 मदन सिंह पिता बिशन सिंह राजपूत निवासी नया नगर के खातेदारी अधिकार की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 105/1 रकबा 515 बीघा 7 बिस्वा ग्राम नया नगर पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित होना तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी के वर्तमान बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 20 मी. रकबा 267 बीघा अंकित करना राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित होता हैं। उक्त भूमि में से उप जिलाधीश , माण्डलगढ के निर्णय पत्रावली संख्या 43/81

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 22.10.81 से 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते से निकाल कर अन्य व्यक्तियों के नाम मृतक मदन सिह के वारिसान द्वारा किये गये विकय के आधार पर दर्ज की गई है। **शेष रकबा 227 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते में भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज किया गय है जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। उक्त इन्द्राज किस आदेश से किया गया है इसका कोई विवरण भी अंकित नहीं किया गया है।** साबिक आराजी नम्बर 105/1 की 267 बीघा भूमि बिलानाम से जंगलात के नाम दर्ज किया जाना बन्दोबस्त रिकार्ड में प्रदर्श हुआ है परन्तु विवादित आराजी श्री मदन सिंह व श्री मान सिह अथवा श्रीमती गंगाबाई ने प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार से हस्तान्तरित की गई हो अथवा सक्षम अधिकारी या न्यायालय का किसी प्रकार का आदेश प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया गया हो। ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । उपजिलाधीश माण्डलगढ के निर्णय दिनांक 22.10.81 व इस कम में जरिये नामान्तरकरण जंगलात विभाग से नाम शुद्धि कर खातेदारी दर्ज किया जाना भी प्रदर्श 13 से बखूबी साबित है। कार्यालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) उदयपुर द्वारा तहसीलदार माण्डलगढ को पत्रांक 1156/ दिनांक 5.11.81 में लिखा गया है कि " **इस कार्यालय के रेकार्ड से पाया जाता है कि आराजी नम्बर 105/1 जमाबंदी संवत 75 से 2021 तक श्री मदन सिंह पिता विशन सिंह राजपूत के खाते दर्ज थी जिसका नया नम्बर 20 बना है खसरा नम्बर 105/1 ग्राम नयानगर सेटलमेण्ट से पूर्व जंगलात के खाते में दर्ज नही था जबकि नये सेटलमेण्ट में खसरा नम्बर 20 जंगलात के खाते में दर्ज है। यह इन्द्राज दुरूस्ती की परिभाषा में आता है जिसका अधिकार उपजिलाधीश को ही है इस कार्यालय को**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं है। " इस पत्र में स्वयं सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) उदयपुर ने वादग्रस्त भूमि के जंगलात में दर्ज इन्द्राज को इन्द्राज दुरूस्ती का होना बताते हुए यह अंकित किया है कि इसको दुरूस्त करने का अधिकार इस कार्यालय (सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) उदयपुर) को नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के जंगलात के नाम दर्ज इन्द्राज को गलत माना है। अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त पत्र वर्तमान खाताधारक का दिनांक 5.11.81 को दिया सहमति कथन (प्रदर्श 7) है । जिसे दौराने वाद व दौराने अपील रेस्पोडेण्टगण द्वारा नकारा नहीं गया है। रेस्पोडेण्टगण को पर्याप्त अवसर मिला है कि वे वन विभाग के नाम दर्ज भूमि के संदर्भ में सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी मिलान पत्रक से पूर्व के आवंटन अथवा अधिग्रहण के दस्तावेज प्रस्तुत करते, परन्तु रेस्पोडेण्टगण द्वारा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज बदल के अतिरिक्त खातेदारी भूमि के वन विभाग के नाम दर्ज होने के कोई प्रामाणिक साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं।

18. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान डी डब्ल्यू 1 शमसुदीन, डी डब्ल्यू 2 अजीत प्रकाश, डी डब्ल्यू 3 बहादुर सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये है। जिसमें से गवाह डी डब्ल्यू 1 ने अपने बयान में अपना बीट दोलजी का खेडा होना बताते हुए कान किया है कि ग्राम नया नगर में वन विभाग के नाम कौन कौन सी आराजी खसरा नम्बर है मुझे ध्यान नहीं मुझे दोल जी का खेडा के ध्यान है। ग्राम नया नगर वन विभाग की भूमि पर किन–किन के कब्जे है मुझे ध्यान नहीं है। नया नगर में किस किस भूमि प्लान्टेशन है मुझे पता नहीं है। वन विभाग डामटी में कितने आराजी नम्बर है मुझे ज्ञात नहीं है। इस गवाह ने वन विभाग का कर्मचारी होने से बयान देना अंकित कराया है। इस प्रकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गवाह डी डब्ल्यू 1 के बयानों से प्रतिवादी संख्या 1 नाम वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से दर्ज की गई है अथवा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का हो इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। गवाह डी डब्ल्यू 2 अजीत प्रकाश ने अपने बयानों में यह अंकित कराया है कि " आराजी नम्बर 20 मी के पुराने नम्बर 105 है उक्त आराजी पहले मान सिंह पिता मदन सिंह वगैरा के नाम दर्ज थी यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा संवत 2022 में उक्त भूमि का 267 बीघा वन विभाग के नाम दर्ज हुआ । संवत 2022 से पहले वन विभाग के नाम दर्ज नहीं थी। मुझे ध्यान नहीं यह वनखण्ड डामटी में है । यह बात सही है कि प्रदर्श 1 से जो जमीन वन विभाग के खाते में आयी जो किसी कोर्ट आदेश से नहीं आई है। यह सही है कि यह भूमि किस आदेश से वन विभाग के नाम आई है रेकार्ड में अंकित नहीं है। " इस गवाह ने आगे यह भी अपने बयान में अंकित कराया है कि खातेदारान को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया हो तो मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है कि विवादित भूमि पर प्लाण्टेशन किया हुआ हो। वर्तमान में किसका कब्जा है ध्यान नहीं है फिर कहा कि वन विभाग का है। इस प्रकार इस गवाह ने भी वादग्रस्त भूमि किस सक्षम अधिकारी के आदेश से जंगलात के नाम आई है स्पष्ट नहीं किया है। प्लाण्टेशन की जानकारी भी नहीं होना बताया है। गवाह डी डब्ल्यू 3 बहादुर सिंह ने तो वादग्रस्त आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 227 बीघा के आस पास है जिसमें काटेदार झाडिया होना तथा बडे पैड नहीं होने का कथन करते हुए आगे यह अंकित कराया है कि वन विभाग का कोट नहीं है तथा एक तरफ पत्थर की दिवार जो गणपत लाल की है, 5–7 साल पहले उक्त जमीन पर वन विभाग का कोई कामकाज नहीं हुआ । उक्त जमीन पर घास काटते हुए गणपत लाल के साथ दो चार को देखा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। इस गवाह ने वादग्रस्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा होने अथवा वन विभाग द्वारा कोई कामकाज नहीं करवाना बताया है। वादग्रस्त आराजी पर वन विभाग का किस प्रकार कब्जा रहा है । प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकार्ड से साबित नहीं कराया है। वादग्रस्त भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है। मात्र राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाहान में किसी भी गवाहान ने वादग्रस्त आराजी को भू प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने किसी प्रकार के नोटिफिकेशन अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के बारे में कोई कथन अपने बयानों में नहीं किया है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड एवं बयान गवाहान के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी बाबत किसी प्रकार के परिपत्र / नोटिफिकेशन के अभाव में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज सही नहीं ठहराया जा सकता । अतः तनकी नम्बर 1 के निष्कर्षण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र यह अंकित कर देना कि वन विभाग की भूमि को किसी भी सूरत में वन विभाग से कम नहीं की जा सकती है उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा बन्दोबस्त पूर्व की जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार तत्कालीन खातेदार श्री मदन सिंह के इन्द्राज के अनुक्रम में तनकी नम्बर 1 अपीलाण्ट / वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

19. तनकी नम्बर 2 " आया प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का स्वरूप बिगाड रहे हैं । इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। " इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इस संबंध में प्रतिवादी को दिनांक 6.11.1999 को एक सूचना पत्र घोषित कराया जो प्रदर्श 3 होकर प्रतिवादी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त हुआ । जिसकी प्राप्ति स्वीकृतियॉ 4, 5, 6 है। वादी द्वारा प्रेषित उक्त सूचना पत्र प्रदर्श 3 का कोई जवाब प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया । साक्ष्य से प्राथमिक तौर पर यह निष्कर्षित आया है कि विवादित भूमि पर वादी पैतृक रूप से काबिज हो वर्तमान में उक्त आराजी से घास काटता है किन्तु इसके विपरीत प्रतिवादी वन विभाग ने अपने जवाब में वर्षो से अपना कब्जा होना अंकित किया है। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के गवाहान दौराने जिरह वादी का कब्जा होना भी स्वीकार करते है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा मात्र नोटिफिकेशन के नक्शे अथवा बन्दोबस्त विभाग के इन्द्राज के आधार पर अपना कब्जा बताया है, परन्तु प्रभावी साक्ष्य से अपना कब्जा होना प्रमाणित नहीं किया है। इस आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का विवेचन करते हुए वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी का माना है एवं तनकी नम्बर 2 को आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की है। पत्रावली से कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता है, वरन् संभावना बनती है कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज होने से वृक्षारोपण / पौधारोपण जैसी कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु भूमि की पूर्व किस्म पहाड होने से यदि भूमि पर घास ही उगती है तो अपीलाण्ट द्वारा काटी जाने व कब्जा अपीलाण्ट का होने का निष्कर्षण भी निकाला जा सकता है। वर्तमान में विवादित आराजियात वन विभाग के नाम दर्ज होकर प्राथमिक कब्जा अपीलाण्ट का होना व घास अपीलाण्ट द्वारा काटना बयान गवाहान से जाहिर होता है। बन्दोबस्त के पूर्व के रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि भूमि की किस्म पहाड अंकित थी तथा साबिक आराजी नम्बर 105 / 1 के नये नम्बर दर्ज करने के दौरान भी बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि वर्गीकरण पहाड ही लिखा गया है। विद्वान अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श 11 अनुसार भूमि का वर्गीकरण पहाड ही अंकित है तथा नाम जिन्स में बीडा अंकित किया गया है। इसके उपरान्त जंगलात विभाग द्वारा कोई वृक्षारोपण किया जाकर सघन पैड लगाये हों यह पत्रावली से साबित नहीं होता है। जब भूमि का वर्गीकरण पहाड दर्ज था तथा बन्दोबस्त विभाग ने भी भूमि का वर्गीकरण पहाड के रूप में रहा है । तब वर्तमान में भी भूमि का वर्गीकरण पहाड माने जाने में कोई विधिक आपत्ति नहीं है। ऐसे में भूमि पर घास उगना व वादी द्वारा काटे जाने की संभवना को बल मिलता है। अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने के निर्णय को उचित पाया जाता है ।

20. तनकी नम्बर 3 " आया गत बन्दोबस्त से पहले से विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड होकर कब्जे में है इसलिए वादी खातेदारी व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। " उक्त तनकी का विवेचन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे है गत बन्दोबस्त सेटलमेण्ट से पूर्व उक्त भूमि प्रतिवादी वन विभाग के नाम दर्ज हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया है न ही प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रदर्श कराया गया । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा उस पर वादी द्वारा की गई जिरह में प्रतिवादी के गवाहान ने उक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व मानसिंह, मदन सिह वगैरा के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। इतना ही नहीं साक्षी डी डब्ल्यू 1 ने भूमि पर कब्जे बाबत जानकारी नहीं होने का कथन कर कहा है कि वादी अगर घास काटता हो तो मुझे जानकारी नहीं इसके अतिरिक्त प्रतिवादी का एक अन्य गवाह डी डब्ल्यू 2 भी दौराने जिरह एवं मुख्य परीक्षण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे कि विवादित भूमि गत सेटलमेण्ट से वन विभाग के नाम होकर उनके कब्जे में हो क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित किया कि वर्षो से भूमि पर वन विभाग का कब्जा है किन्तु उन्होनें कब्जे बाबत कोई साक्ष्य अंकित नहीं की है। इसके विपरीत साक्ष्य के मध्य परीक्षण में विवादित भूमि पर प्लाण्टेशन का कथन जरूर किया है लेकिन प्रतिवादी के दोनों गवाहान ने जिरह के दौरान प्लाण्टेशन से इंकार किया है। इतना ही नहीं भूमि पर वादी द्वारा घास काटना भी स्वीकार करते हैं। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। एन आर सी 1996 पेज 1 व राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 30.9.1992 एवं वन अधिनियम 1980 पेश किये तथा साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.9.2011 न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में वन भूमि को बिना पूर्व अनुमति के गैरवानिकी कार्य हेतु नहीं दी जा सकती है अंकित है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं बयान गवाहान से स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 20 मिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिलानाम मानकर वन विभाग के नाम दर्ज कर दी । ऐसे में भूमि पूर्व से वन भूमि नहीं मानी जा सकती । भूमि का वर्गीकरण भी पहाड दर्ज है तथा भूमि पर घास उगने का भी तथ्य पत्रावली में आया है। अतः खातेदारी भूमि जो गलती से वन विभाग के नाम दर्ज हो गई हो को वन भूमि नहीं माना जा सकता । उपरोक्त न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आ टी 2008 (1) पेज 151 से स्पष्ट होता है कि सेटलमेण्ट अधिकारी की गलती को सुधारने का अधिकार न्यायालय को है इस संबंध में वादी द्वारा अन्य न्यायिक उद्धरण भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत हुए हैं जो आर आर टी 2003 (2) पेज 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 1027, आर आर टी 2003 (2) 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 520 है। में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को दोहराना होता है ।

21. हस्तगत प्रकरण वादी/अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदारी भूमि के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का है, जो वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है। रेस्पोडेण्टगण को साबित करना था कि बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि प्रतिवादी वन विभाग के नाम विधिक रूप से दर्ज की गई थी, तथा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाना था। मात्र भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड होने के कारण वादी के नाम दर्ज नहीं किये जा सकने का निष्कर्षण कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में तनकी का विवेचन करते हुए अंत में यह अंकित किया है कि उक्त तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है। तनकी नम्बर 3 को साबित करने के लिए वर्तमान रिकार्ड में अंकन के साथ–साथ बन्दोबस्त से पूर्व के रिकार्ड में वन विभाग का अंकन होना भी साबित किया जाना था, जिसे रिकार्ड के अभाव में प्रतिवादी साबित नहीं कर पाये है। प्रदर्श 1 अनुसार जो 515 बीघा 7 बिस्वा भूमि साबिक खसरा नम्बर 105/1 किस्म पहाड श्री मदन सिंह पिता बिशन सिंह के नाम बतौर काश्तकार संवत 2018 से 2021 की जमाबंदी में दर्ज है, उसमें से 267 बीघा भूमि जंगलात के नाम दर्ज करना भू प्रबन्ध विभाग के मिलान पत्रक प्रदर्श 11 से स्पष्ट होता है। खसरा नम्बर 105/1 मिन से बने अन्य हाल नम्बरान 16, 17, 18, 19 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नाम गत कृषक (कॉलम नम्बर 23) को ही नाम वर्तमान कृषक (कॉलम नम्बर 24) में दोहराया है अथवा संशोधित कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंकित किया है परन्तु हाल खसरा नम्बर 20 उन्हाली बाडी । अंकित कर नया नाम कृषक (गत भूमाप) में मान सिह पिता मदन सिंह 40 बीघा 7 बिस्वा व अन्य कृषकों का नाम अंकित कर कॉलम नम्बर 24 में भी यही इन्द्राज दोहराये हैं। प्रदर्श 11 प्रमाणित प्रति है। जिसे कानूनगो रिकोर्ड रूम जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा जारी किया गया है। जिसमें हाल खसरा नम्बर 20 के इन्द्राज कॉलम नम्बर 23 में नाम कृषक अंकित कर नीचे बिलानाम लिखा गया है, तथा कॉलम नम्बर 24 में नाम वर्तमान कृषक लिखा जाकर उसके नीचे वन विभाग ब्लाक डामटी लिखा गया है। तथा विशेष विवरण में यह रकबा 267 बीघा जंगलात में गया है । अतः दह में 267 बीघा बेशी होना अंकित किया है। संवत 2022 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा दह में बेशी होना अंकन कर 267 बीघा रकबा साबिक रकबा 105/1 में दर्ज काश्तकारों के नाम से हटाकर बिलानाम से वन विभाग दर्ज करना प्रकट हुआ है। इस इन्द्राज को ही अपीलाण्ट द्वारा चुनौती दी गई है तथा तनकी नम्बर 3 को वन विभाग के पक्ष में सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 20 रकबा 267 बीघा का खातेदारी से बिलानाम व वन विभाग के नाम बन्दोबस्त से पूर्व किसी सक्षम आदेश से दर्ज होना साबित करना था । परन्तु प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं। बल्कि रिकार्ड पर उपलब्ध वन विभाग के सक्षम अधिकारी की स्वीकारोक्ति (प्रदर्श 7) व बयान गवाहान से इस बात को बल मिलता है कि भूमि खातेदारी से वन विभाग के नाम दर्ज करने का कार्य बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया है जिस बाबत बन्दोबस्त पूर्व सक्षम स्तर से वन विभाग के नाम दर्ज करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने से, विवादित भूमि को बन्दोबस्त से पूर्व वन विभाग के नाम दर्ज नहीं माना जा सकता । मात्र भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज होने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर तनकी नम्बर 3 प्रतिवादीगण के हक में निर्णित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत नहीं कया गया है। अतः तनकी नम्बर 3 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

22. तनकी नम्बर 4 व 5 का निर्णय एक साथ करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि इस तनकी का भार प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 पर है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए न ही अपनी ओर से कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये हैं अतः साक्ष्य के अभाव में दोनों तनकी प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के विरूद्ध तय की जाती है। इस प्रकार तनकी नम्बर 4 व 5 को तत्समय प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 5 के विरूद्ध तय की गई है। जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण दौराने अपील प्रस्तुत नहीं हुआ है।

23. न्यायालय हाजा में प्रत्यर्थीगण द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व अथवा कार्यवाही के दौरान वन विभाग के नाम किसी विधिक आदेश से स्थानान्तरित होना प्रमाणित हो। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा बन्दोबस्त के इन्द्राज के समर्थन में कोई गजट नोटिफिकेशन कोई परिपत्र, सक्षम अधिकारी का आदेश अथवा न्यायालय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि को भू प्रबन्ध के दौरान भूमि के खातेदार का नाम हटाया जाकर वन विभाग का नाम दर्ज किया जाना उचित साबित हो सके। विधिक रूप से यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों को पुराने इन्द्राज को दोहराना होता है। इस संबंध में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2003 (2) पेज 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 1027,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आर आर टी 2003 (2) 957, आर आर टी 2001 (1) पेज 520 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

24. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया द्वारा अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज से पूर्व की स्थिति स्पष्ट करने व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पक्ष साबित करने के लिए अपने पत्रांक /राजस्व/रीडर/2013/976 दिनांक 6.6.2013 द्वारा उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी विभाग, भीलवाडा एवं पत्रांक राजस्व/रीडर/2013/974 दिनांक 6.6.2013 भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/रीडर/975 दिनांक 6.6.2013 द्वारा तहसीलदार माण्डलगढ को पत्र लिखकर राजस्व ग्राम नया नगर तहसील बिजौलिया की वर्तमान आराजी नम्बर 20 मी के संबंध में सूचना चाही गई थी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया ने ग्राम नया नगर मे स्व0 मदन सिंह पिता किशन सिंह राजपूत निवासी नयानगर के खातेदारी अधिकार की साबिक बन्दोबस्त आराजी नम्बर 105/1 रकबा 515 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम नया नगर स्थित होना अभिलिखित कर वर्तमान बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 20 मीन रकबा 267 बीघा अंकित होकर कम होकर संवत 2022 से वर्तमान रकबा 227 बीघा वन विभाग के नाम अंकित हो जाने के संबंध में सूचना चाही गई थी। इस संबंध में तहसीलदार बिजौलिया को भी बन्दोबस्त से पूर्व के व बन्दोबस्त के दौरान के अभिलेख बाबत पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा जा कर प्रतिरक्षण का अवसर दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र लिख कर पक्ष प्रस्तुत करने बाबत पर्याप्त अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब, साक्ष्य सबूत अथवा दस्तावेज प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं किये गये जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध संक्रिया के दौरान किस सक्षम अधिकारी के आदेश, परिपत्र अथवा न्यायालय के आदेश से जंगलात विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड की गई।

25. न्यायालय हाजा द्वारा भी अपने पत्रांक 139 / 14 / 730 दिनांक 13.8.2015 द्वारा जिला वन अधिकारी वृत भीलवाडा को लिखा गया था कि प्रकरण संख्या 139 / 14 उनवान गणपत लाल बनाम जिला वन अधिकारी प्रकरण में राजस्व रेकार्ड व अधिसूचना जो राज्य सरकार द्वारा जारी हुई पेश नहीं की गई है। अतः आवश्यक रूप से आगामी पेशी पर प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण रेकार्ड लेकर उपस्थित होवें । परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर चाहा जो न्यायहित में दिया गया । राजकीय अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया । न्यायालय हाजा के अहकाम दिनांक 24.8.2017 अनुसार राजकीय अधिवक्ता द्वारा 25 दिवस का समय चाहा गया। इसके उपरान्त भी कई तारीख पेशी गुजर जाने तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । अहकाम फर्द से स्पष्ट होता हे कि दिनांक 5. 12.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता ने एतराज किया कि राजकीय अधिवक्ता द्वारा बार–बार समय मांगा गया है परन्तु आज तक उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः अब अवसर नहीं दिया जावे। जिस पर राजकीय अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 15.12.2017 को आवश्यक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु पर्याप्त समय मिलने के उपरान्त भी कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। राजकीय अधिवक्ता के पत्र दिनांक 24.8.2017 द्वारा यह लिखा गया कि विवादित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि संयुक्त राजस्थान राजपत्र 21 जुन 1948 ई0 के नोटिफिकेशन आदेश से दर्ज है, जो डामटी ब्लाक नया नगर के नाम से दर्ज है । अतः प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज यूनाईटेड स्टेट ऑफ राजस्थान गजट दिनांक 21 जुन 1948 व तत्कालीन नक्श पेश करने के लिए 25 नि का अवसर प्रदान करावें । कई अवसर दिये जाने के बाद भी इस बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। बरवक्त बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा स्पष्ट किया गया कि तत्कालीन गजट में मात्र नक्शा मय पिलर संख्या नोटिफाई किया गया था तथा नक्शे के अन्दर राजस्व विभाग के खसरा नम्बर अभिलिखित नहीं है। राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नक्शों के आधार पर यह माना है कि वन विभाग के नक्शे की सीमा में हाल खसरा नम्बर 16, 17, 18, 19 व 20 के कई खसरा नम्बरों आदि का तथा खसरा नम्बर 20 मिन के रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा का क्षेत्रफल भी खातेदार दर्ज होकर नोटिफिकेशन में अंकित भूमि में सम्मिलित हो सकता है। यहॉ यह महत्वपूर्ण है कि किसी पूर्व के राजकीय रिकार्ड से विवादित आराजियात वन विभाग के नाम दर्ज होना प्रकट होता हो तो रेस्पोडेण्टगण को ऐसा रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहिये था । ऐसे किसी नोटिफिकेशन या आदेश के अभाव में बन्दोबस्त विभाग के द्वारा खातेदारी अधिकारों के इन्द्राज को परिवर्तित कर दिया जाना दोषपूर्ण प्रमाणित होता है। ऐसे में अपीलाण्टगण तत्कालीन खातेदार के फुटस्टेप में खातेदारी उद्घोषणा के पात्र हो जाते हैं।

26. अपीलाधीन प्रकरण न्यायालय हाजा में वर्ष 2014 से लंबित है । परन्तु अपील में राजकीय पक्ष स्पष्ट करने बाबत कोई दस्तावेज राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो सके कि बदोबस्त विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के दौरान अथवा पूर्व में जारी किसी सक्षम आदेश से जंगलात के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हो। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में तनकियात का विवेचन करने के उपरान्त वादी का पक्ष काफी हद तक प्रमाणित पाया है, परन्तु वर्तमान मे भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होना पाया जाने से अपीलार्थीगण को खातेदारी उद्घोषणा का पात्र नहीं पाया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है। मात्र वर्तमान रिकार्ड के आधार पर खातेदारी बाबत निष्कर्षण नहीं किया जा कर उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर अंतिम निष्कर्षण किया जाना न्यायोचित है, अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का वर्तमान रिकार्ड के आधार पर निष्कर्षण उचित नहीं माना जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में कोई मियाद नियत नहीं है । अतः मात्र वर्तमान रिकार्ड के आधार पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज के बिना पर अपीलाण्टगण को उनकी पैतृक आराजी में खातेदारी आराजी में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

27. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 3 (सी–5) भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । जिस अनुसार उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ नकल निर्णय दिनांक 22.10.81 वाके मिसल कमांक 43 / 81 जिस पर प्रदर्श 3 लिखा है, तथा जो प्रमाणित प्रति की प्रति होना स्पष्ट है, में खसरा नम्बर 20 मिन बाबत विस्तृत विवेचन किया गया है। इस निर्णय में भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ की रिपोर्ट दिनांक 20.9.81 के अनुसार साबिक आराजी खसरा नम्बर 105 / 1 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बन्दोबस्त द्वारा भूल से खातेदारी भूमि को सिवायचक/वन विभाग के नाम अंकित किया जाना, तथा नवीन खसरा नम्बर 20 मिन में शामिल किया जाना पाया है, जबकि वन विभाग का उस पर कोई कब्जा अधिकार नहीं होने से वन विभाग के खाते से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अधीन राजस्व विभाग से उक्त खरीदकर्ता खातेदार कृषक के नाम से परिवर्तन की स्वीकृति इस आधार पर जारी की गई कि तहसीलदार माण्डलगढ पुनः परीक्षण कर मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग को सूचित करते हुए राजस्व रिकार्ड में वास्तविक अधिकार व कब्जे के आधार पर भू अभिलेख में आवश्यक संशोधन नामान्तरकरण द्वारा करने की व्यवस्था करें इस आदेश दिनांक 22.10.81 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में Ex-3 अंकन कर C-5 पर शामिल रिकार्ड रखा गया है। प्रमाणित प्रति न होने व स्पष्ट प्रदर्श नहीं होने से इसे साक्ष्य के रूप में पढे जाने बाबत भिन्न मत हो सकते हैं, परन्तु मेरा विनम्र अभिमत है कि अन्य दस्तावेजों के सहायक दस्तावेज के रूप में इसे पढा जा सकता है, यदि इसका खण्डन नहीं किया गया हो व अन्य प्रमाणित दस्तावेज इसकी तस्दीक करते हों। चूंकि यह न्यायालय निर्णय अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की प्रति है, तथा इसका स्पष्ट जिक्र प्रदर्श 13 में किया गया है, अतः अन्य साक्ष्यों के विरूद्ध अभिनिर्धारण न होने तक इसे सहयोगी दस्तावेज के रूप में पढा जाना उचित समझते हैं। इससे संबधित दो अन्य दस्तावेज भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल पत्रावली है। जिससे पहला दस्तावेज जमाबंदी (खतौनी) ग्राम नया नगर पटवार क्षैत्र सलावटिया भू अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा संवत 2035 से 2038 है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 4

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबंदी खतौनी ग्राम नया नगर संवत 2032 से 2035 में खसरा नम्बर 20 रकबा 267 बीघा को जंगलात विभाग के नाम अंकित किया गया है। प्रदर्श 4 में प्रथम इन्द्राज इन्तकाल नम्बर 350 दिनांक 13.1.82 से आराजी नम्बर 20 में से 39 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इन्द्राज नम्बर (2) में इन्तकाल नम्बर 354 दिनांक 13.1.82 से आराजी नम्बर 20 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम में से 13 बीघा श्री दलपत सिंह पिता विजय सिंह रांका निवासी बनेडा हाल भीलवाडा 1/4 शान्ती लाल पिता घीसु लाल जैन सा0 मावली निवासी उदयपुर 1/4, रामजस पिता मोहन लाल बिडला साबिकन माण्उल 1/4 , जेठमल पिता सदा लाल माली निवासी माण्डलगढ 1/8 विजय सिंह पिता जेठमल मारू निवासी माण्डल 1/8 खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इन्द्राज नम्बर (3) इन्तकाल नम्बर 355 दिनांक 13.1.82 से आराजी नम्बर 20 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम में से 13 बीघा 5 बिस्वा श्रीमती सरजू पत्नि तुलसीराम धाकड साकिन देवगढ श्री अभय सिंह पिता भॅवर लाल आंचलिया निवासी माण्डलगढ हि0ब0 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इन्द्राज नम्बर (4) में इन्तकाल नम्बर 356 दिनांक 13.1.82 से आराजी नम्बर 20 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम में से 13 बीघा 5 बिस्वा श्री मोती लाल पिता किशना धाकड साकिन थडोदा खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति का इन्द्राज किया गया है।

28. प्रथम दस्तावेज के समर्थन में प्रदर्श 13 का प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श 13 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 354 दिनांक 13.1.82 से श्री जंगलात विभाग (बिलानाम) खसरा नम्बर 20 रकबा 267 बीघा में से 13 बीघा भूमि का नामान्तरकरण श्री दलपत सिंह पिता विजय सिंह रांका निवास बनेडा हाल भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/4 , शान्ती लाल पिता घीसू लाल जैन साकिन मावली जिला उदयपुर 1/4, रामजस पिता मोहन लाल बिडला निवासी माण्डल 1/4 जेठमल पिता सदा लाल मारू निवासी माण्डलगढ 1/8 विजय सिह पिता जेठमल मारू निवासी माण्डलगढ 1/8 खातेदार के नाम खोला गया है। इसके विशेष विवरण में लिखा है " महोदयजी निवेदन है कि मुताबिक आदेश तहसील मिसल नम्बर 318 दिनांक 9. 11.81 व उप जिलाधीश महोदय फै0 नम्बर 43 दिनांक 22. 10.81 की अनुपालना में नामान्तनकरण खोला जाकर प्रेषित है। असल आदेश 5 1735 पर चस्पा है। " अंकित है। जिससे उपरोक्त दोनों दस्तावेजों के प्रमाणित होने की पुष्टि होती है। राजस्व न्यायालय में गवाही से अधिक महत्व दस्तावेजी साक्ष्य को दिया जाता है, तथा राजस्व रिकार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य मानकर निर्णय का मुख्य आधार रखा जाता है। ऐसे में साबिक आराजी नम्बर 105/1 रकबा 515 बीघा 7 बिस्वा में से वन विभाग के नाम दर्ज हाल खसरा नम्बर 20 मिन रकबा 267 बीघा में से 39 बीघा 10 बिस्वा बाबत अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.1981 की पालना होकर रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी होना रिकार्ड से स्पष्ट होता है । शेष भूमि का भी बन्दोबस्त विभाग द्वारा दौराने सेटलमेण्ट भूल से खातेदारी से सिवायचक/वन विभाग के नाम दर्ज होना साबित होता है।

29. वर्तमान रिकार्ड अनुसार वन विभाग के नाम दर्ज भूमि को खातेदारी उद्घोषणा के माध्यम से अपीलाण्ट के पक्ष में उद्घोषित किये जाने बाबत तनकी वार विवेचन हो जाने तथा उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित हो जाने के क्रम में विस्तृत विवेचन उपरान्त सारतः हम यह पाते हैं कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा खातेदारी भूमि का इन्द्राज दोहराने की बजाय बिलानाम से जंगलात दर्ज किया जाना प्रमाणित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है, तथा इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को खारिज करवा कर अपीलाण्ट खातेदारी उद्घोषणा पाने के अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत खातेदारी उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के तहत खातेदारी उद्घोषणा के लिए व्यापक प्रावाधान किये हुए है। खातेदारी अधिकार दिये जाने के क्रम में न सिर्फ वर्तमान रिकार्ड देखा जाता है वरन वाद प्रस्तुत करते समय वादी का विधिक रूप से अधिकार प्रकट होना भी परीक्षित किया जाना अपेक्षित था । बन्दोबस्त विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को प्रदर्श 11 अनुसार नाम कृषक अंकन उपरान्त भी बिलानाम से जंगलात के नाम दर्ज किया है, तथा विशेष विवरण में रकबा 267 बीघा 10 बि. जंगलात में जाने का इन्द्राज किया है। यह इन्द्राज किस न्यायालय आदेश, गजट नोटिफिकेशन, सीलिंग आदेश अथवा अन्य दस्तावेज के अनुसरण में किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है। बन्दोबस्त विभाग की इस त्रुटि बाबत विस्तृत विवेचन प्रदर्श 3 (सी–5) नकल निर्णय एस डी ओ, माण्डलगढ दिनांक 22.10.81 में किया जा कर प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में शुद्धि योग्य माना जा चुका है । तथा खसरा नम्बर 20 मिन रकबा 267 बीघा 10 बि. में 39 बीघा 10 बिसवा भूमि जंगलात के खाते में से निकाल कर विभिन्न नामान्तरकरण द्वारा वर्ष 1982 में ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है। खसरा नम्बर 20 मिन में से ही 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि जंगलात के खाते से निकल कर खातेदारी दर्ज हो जाने पर वन विभाग द्वारा कोई विधिक प्रतिरक्षण किया गया हो या इस इन्द्राज को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसे कोई तथ्य रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बल्कि इस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इन्द्राज के समर्थन में लिखे गये वन विभाग के पत्र प्रदर्श 7 (सी–14) अनुसार भी यह इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन बन्दोबस्त विभाग के अविधिक इन्द्राज के आधार पर है, जिसे स्वयं विभाग द्वारा भी दुरूस्ती योग्य माना है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण विवेचित नहीं किया गया व महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श होते हुए भी उनका विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र यह मानते हुए कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में वन विभाग के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्टगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 20 मिन रकबा 227 बीघा।० बि.का खातेदारी उद्घोषणा चाही गई है। वन विभाग के नाम दर्ज इन्द्राज खारिज किये जाने पर स्व0 मदन सिंह के फुटस्टेप में इन्द्राज के खातेदारी उद्घोषणा जारी किये जाने के क्रम में अपीलाण्ट के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा चाराजोही नहीं की गई है। अतः अपीलाण्टगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के स्व0 मदन सिह के फुटस्टेप में होने की अवधारणा इस स्तर पर नहीं की जा सकती है ऐसे में अपील का निर्णय उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही किया जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित पाते है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

30. अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2014 को निरस्त किया जाता है। अपीलाण्ट के पूर्वज मदन सिंह के नाम साबिक आराजी नम्बर 105/1 खातेदारी दर्ज होने से हाल आराजी नम्बर 20 मिन रकबा 227 बीघा।० बि.का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बन्दोबस्त विभाग द्वारा वन विभाग ब्लाक डामटी के नाम किया गया इन्द्राज खारिज किया जाता है। स्व0 मदन सिंह के विधिक हक हिस्से तक की भूमि का अपीलाण्टगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

31. निर्णय आज दिनांक 25.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 139 / 2014

उनवान

1. गणपत लाल पिता अम्बा लाल दरोगा निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–

1/1 मोडी बाई पत्नि गणपत लाल दरोगा निवासी माण्डलगढ
1/2 गोपाल पिता गणपत लाल दरोगा, निवासी माण्डलगढ
1/3 कृष्णा देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी नारायण लाल दरोगा निवासी कुलाटिया तहसील बेगूँ जिला चित्तोडगढ
1/4 पारस देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नि गोपाल जी. दरोगा निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तोडगढ
1/5 संतोष देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी रामप्रसाद निवासी कानावतों का लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
1/6 सुशीला देवी पुत्री गणपत लाल दरोगा पत्नी नारायण सिंह दरोगा निवासी आम्बा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला वन अधिकारी, वृत भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. लादु सिंह पिता छगन धूपिया निवासी माण्डलगढ हाल मुकाम करमडास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. चंचल देवी पिता गोपाल सिंह बापना पत्नी हिम्मत सिंह आंचलिया अहिंसा सर्कल, नई आबादी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 21 / 12 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री भोलेश्वर शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री पवन कुमार पंवार, श्री गिरिश कौशिक अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 139 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 25.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री भोलेश्वर शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री पवन कुमार एवं श्री गिरीश कौशिक तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर सें राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 25.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.6.2014 को निरस्त किया जाता है। अपीलाण्ट के पूर्वज मदन सिंह के नाम साबिक आराजी नम्बर 105 / 1 खातेदारी दर्ज होने से हाल आराजी नम्बर 20 मिन रकबा 227 बीघा 10 बिस्वा बाबत बन्दोबस्त विभाग द्वारा वन विभाग ब्लाक डामटी के नाम किया गया इन्द्राज खारिज किया जाता है। स्व0 मदन सिंह के विधिक हक हिस्से तक की भूमि का अपीलाण्टगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रत्यर्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

25/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस